

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 06.01.2026

नगर निकाय के वार्ड गठन/परिसीमन का प्रारूप प्रकाशन

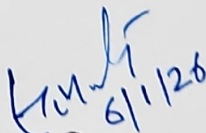
- राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद्, खगौल (जिला पटना) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन एवं सांख्यांकन (परिसीमन) की प्रक्रिया दिनांक 01.01.2026 से जारी है। जिसके उपरान्त गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 16.01.2026 को निर्धारित है।

क्षेत्र विस्तारित नगर परिषद्, खगौल (जिला पटना) के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के गठन की कार्यक्रम विवरणी :

- वार्डों का परिसीमन एवं गठन : 01.01.2026 से 15.01.2026 तक।
- गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन : 16.01.2026
- दावा/आपतियों की प्राप्ति की अवधि : 16.01.2026 से 03.02.2026 तक ।
- प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा/आपतियों का निष्पादन : 19.01.2026 से 07.02.2026 तक।
- आपतियों के निष्पादन के उपरान्त प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपति: 09.02.2026 से 12.02.2026 तक
- प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन : 16.02.2026 से 20.02.2026 तक
- अंतिम रूप से गठित वार्डों का जिला गजट में प्रकाशन : 25.02.2026 तक।

दावा/आपति या सुझाव:

- ऑफलाइन : जिला निर्वाचन कार्यालय या प्राधिकृत पदाधिकारी-सह- अनुमंडल पदाधिकारी (दानापुर) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- ऑनलाइन : आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in या secbihar@gmail.com पर दर्ज किया जा सकता है।
- टोल फ्री नंबर : 1800-3457-243 पर कॉल करके वार्ड गठन संबंधी जानकारी/सूचना/सुझाव या शिकायत दर्ज कर सकते हैं।


6/1/26

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार